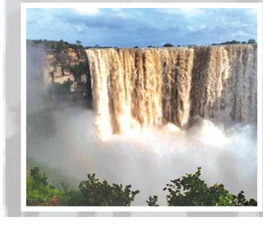

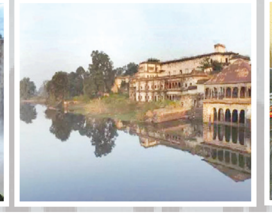

बीकानेर मिठाई के कारखाने में खाद्य सुरक्षा का छापा, फफूंद लगे मिले केक

दर्ज किया जाएगा प्रकरण, सीरे में तैरते मिले कीड़े, लगातार जारी है कार्यवाही

नवभारत न्यूज

रीवा, 13 अक्टूबर, दीपावली के त्यौहार को देखते हुए रीवा और मऊगंज जिले में इस समय मिष्ठान दुकानो और कारखानो में खाद्य सुरक्षा, नापतौल एवं राजस्व विभाग की टीम संयुक्त छापामार कार्यवाही कर रही है.

सोमवार एसडीएम अनुराग तिवारी की मौजूदगी में इलाहाबाद रोड़ स्थित बीकानेर एक्सप्रेस के कारखाने में जांच करने जब टीम पहुंची तो हैरान रह गई. कारखाने में फफूंद लगे केक मिले, इतना ही नही मिठाई में उपयोग होने वाले सीरा में कीड़े तैरते पाए गए जिसे नष्ट कराया गया. इस समय जिले भर में कार्यवाही चल चल रही है, सोमवार को इलाहाबाद रोड स्थित प्रतिष्ठान बीकानेर एक्सप्रेस के कारखाने की जांच की गई. कारखाने की जांच में केक के

बेस को अखबारों के ऊपर रखकर बनाया जा रहा था जिससे अखबार की स्याही केक में आ रही थी जो की पूर्णत प्रतिबंधित है. कारखाने की सारे बने हुए केक की बेस को मौके पर ही नष्ट कराया गया है. जांच के दौरान कारखाने में एक्सपायरी डेट के 50-50 किलो की दो बोरे एवं प्रयोग में हो रहे टूटी फूटी के चार पैकेट जप्त कर नष्ट कराए गए. कारखाने की कोल्ड स्टोरेज की जांच के दौरान मिठाई में प्रयुक्त होने वाला सीरा अस्वच्छ परिस्थितियों में रख पाया जिसमें मरे हुए कीड़े तैर रहे थे सीरे को नष्ट कर दिया गया है. कारखाने में तलने में जो तेल इस्तेमाल हो रहा था वह भी काला पड़ चुका था उसको भी मौके पर नष्ट कराया गया है. संचालक के विरुद्ध अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण विक्रय एवं संग्रह करते पाए जाने से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के दौरान एसडीएम अनुराग तिवारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे, साबिर अली नापतोल नियंत्रक मौजूद रहे.

मऊगंज जिले में खाद्य सामग्री के लिए गए नमूने

मऊगंज में भी जांच अभियान चल रहा है, अभियान अंतर्गत शिव भोले समोसा एवं मिष्ठान भंडार देवतालाब से गुणवत्ता की जांच हेतु लड्डू, बर्फी एवं खोवा के नमूने लिए गए. विक्रेता को खाद्य पदार्थ ढक कर रखने की समझाइए दी गई. श्री राम गोपाल मिष्ठान भंडार से खोवा बर्फी, छैना रसगुल्ला एवं जलेबी का नमूना मिलावट के शंका के आधार पर लिया गया साथ ही विक्रेता को प्रतिष्ठान में साफ सफाई न होने के कारण परिसर को साफ रखने की सख्त हिदायत दी गई. इसी क्रम में रतनगंवा स्थित प्रमोद मिष्ठान भंडार के निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठान स्वच्छ नहीं पाया गया. विक्रेता को परिसर साफ रखने की सख्त हिदायत दी गई गुणवत्ता में शंका के आधार पर मगज के लड्डू एवं बर्फी का नमूना जांच के लिये लिया गया.

श्रीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर नियमों के उल्लंघन का आरोप, ननि कमिश्नर करेंगे जांच

नवभारत न्यूज

रीवा, 13 अक्टूबर, आवासीय अभिन्यास अनंतपुर वार्ड क्र. 10 में मानचित्र में परिवर्तन करके बिना अनुमति श्रीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा विकसित कालोनी में मनमानी तरीके से संसोधन नक्शा एवं पूर्व से निर्धारित सड़क और पार्क एवं कालोनी विकास की अनुज्ञा मानचित्र स्वीकृत में संसोधन करके बगैर भू सम्पदा विनियम और विकास अधिनियम के विपरीत कार्य किये जाने की शिकायत की गई.

रेरा ने नगर निगम आयुक्त को जांच के निर्देश दिये है. रीवा शहर में श्रीजी कंपनी द्वारा बनाई जा रही आवासीय कॉलोनी का मामला अब संदेह और सवालों के घेरे में है. बताया गया है कि कंपनी ने शासन और नगर निगम के नियामकीय प्रावधानों को ठेंगा दिखाते हुए आवासीय योजना में नक्शा और स्वीकृत मानचित्र में संशोधन कर भू-संपदा विनियम एवं विकास अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन किया है. सिर्फ इतना ही नहीं योजना के अनुमोदन हेतु जिस समिति के गठन की अनिवार्यता थी, उसका गठन आज तक नहीं किया गया. बावजूद इसके, डुप्लेक्स भवनों का निर्माण धड़ल्ले से जारी है, कॉलोनी वासियों का कहना है कि कंपनी ने उन्हें सुविधाओं से परिपूर्ण आवास का सपना दिखाया, किंतु हकीकत में यह सपना एक नक्शे के कागज़ पर ही सीमित रह गया.

सड़कें अधूरी, जल निकासी अव्यवस्थित, और निर्माण मानकों की अनदेखी की गई. इस पूरे प्रकरण की लिखित शिकायत अधिवक्ता बी.के. माला रीवा द्वारा रेरा कार्यालय भोपाल में की गई, जिसके आधार पर रेरा ने नगर निगम आयुक्त रीवा को जांच के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. साथ ही, अन्य वरिष्ठ विभागीय कार्यालयों में भी इसकी प्रतियां भेजी गई हैं. जांच के बाद स्पष्ट होगा कि नियमों का उल्लंघन कितना किया गया है.

धान उपार्जन के लिए 67841 किसानों ने कराया पंजीयन

रीवा, 13 अक्टूबर, धान उपार्जन के लिए किसानों का 10 अक्टूबर तक पंजीयन किया गया. समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का लाभ लेने के लिए रीवा जिले में 67 हजार 841 किसानों ने पंजीयन कराया है. पंजीकृत किसानों द्वारा कुल एक लाख 12 हजार 672 हेक्टेयर क्षेत्र में धान उपार्जन का पंजीयन किया गया है. इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी कमलेश ताण्डेकर ने जानकारी दी.

संक्षिप्त

शिव प्रसाद प्रधान बने चुरहट विधानसभा के प्रभारी

रीवा. रीवा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रदेश महामंत्री शिव प्रसाद प्रधान को पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल के विधानसभा क्षेत्र चुरहट का प्रभारी नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति आल इंडिया कांग्रेस के सहमति एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा की गई है. श्री प्रधान के प्रभारी बनाए जाने पर सीधी एवं रीवा जिले के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है. श्री प्रधान ने कहा कि पार्टी द्वारा जो दायित्व किया गया है, जिसको पूरी ऊर्जा के साथ निभाएगें. साथ ही उन्होने अपनी नियुक्ति पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, जीतू पटवारी एवं अजय सिंह राहुल सहित सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है.

चार अवैध नल कनेक्शन काटे गए

रीवा. निगम आयुक्त डॉ0 सौरभ सोनवणे के निर्देशानुसार नगर निगम की टीम द्वारा जलकर वसूली प्रभावी बनाने हेतु बड़े बकायादारों एवं अवैध कनेक्शनधारियों पर कड़ा रूख अपनाते हुये नल कनेक्शन काटने की कार्यवाही निरंतर जारी है. 13 अक्टूबर 2025 को वार्ड क्र. 25 में नगर निगम टीम द्वारा पहुचकर नल कनेक्शनों की जॉच की गई. इस दौरान 4 अवैध नल कनेक्शन को काटा गया वही मौके पर 1 अवैध नल कनेक्शन को निर्धारित शुल्क जमा कराकर वैधीकरण की कार्यवाही की गई. साथ ही चेतावनी दी गई कि बिना नगर निगम के अनुमति के नल कनेक्शन जोड़ने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. साथ ही स्पष्ट किया गया कि शुल्क न जमा करने वाले बड़े बकायादारों के नल कनेक्शन काटने की कार्यवाही अभियान के रूप की जावेगी. कार्यवाही के दौरान सहायक आयुक्त सुश्री शीतल भलावी एवं जलकर शाखा की टीम मौजूद रही.

जिला स्तरीय समिति की बैठक आज

रीवा. पुनर्घनत्वीकरण योजना से संबंधित जिला स्तरीय समिति की बैठक 14 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई है. बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल करेंगी. बैठक में पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ने समिति के सभी सदस्यों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है.

आतिशबाजी लाइसेंस के लिए आवेदन आज तक

रीवा. दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी विक्रेता 14 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक एमपी ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से आतिशबाजी लायसेंस के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से करना होगा. शहरी क्षेत्र रीवा के लिए आतिशबाजी लायसेंस के आवेदन की हार्ड कॉपी कलेक्टर कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा. शहरी क्षेत्र में आतिशबाजी लायसेंस के नवीन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे. आतिशबाजी/पटाखा विक्रय के लिए अस्थाई लायसेंसधारी को बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित स्थानों में दुकान लगानी होगी. इसी तरह मऊगंज में आतिशबाजी लायसेंस के लिए आवेदन आज तक आमंत्रित किये गये है.

नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन तिथि बढ़ी

रीवा. पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सिरमौर ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है. इच्छुक और पात्र विद्यार्थी अब आगामी 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पहले आवेदन की अंतिम तिथि 07 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दिया गया है। प्रवेश के लिए परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है. प्रवेश परीक्षा 7 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. इस संबंध में नवोदय विद्यालय के प्राचार्य एमके तिवारी ने बताया कि कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए विद्यार्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.

वरिष्ठजनों के लिए जांच शिविर आज

रीवा. सामाजिक न्याय विभाग द्वारा अटल वयों अभ्युदय योजनान्तर्गत बुजुर्गों को कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए जाँच शिविर लगाए जा रहे हैं. शिविर में कृत्रिम अंग के लिए पात्र पाए गए बुजुर्गों को भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम तथा एलिम्को संस्था द्वारा नि:शुल्क कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाएंगे. कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा संबंधित जनपद के सीईओ को शिविर के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं. संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे ने बताया कि 14 अक्टूबर को जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान सभागार में शिविर लगेगा.

भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी कार्यवाही

नवभारत न्यूज

रीवा, 13 अक्टूबर, जिले में त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने आदेश जारी किया है.

जारी आदेश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम आदि पर किसी भी प्रकार के झूठे, भ्रामक, विवादास्पद या आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो या फोटो को प्रसारित करने पर तत्काल रोक लगा दी गई है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर ऐसा कोई भी कंटेंट पोस्ट, शेयर, फॉरवर्ड या वायरल नहीं करेगा जिससे सामाजिक, साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ने या कानून व्यवस्था खराब होने की संभावना हो. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ़ भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.ज़िले के पुलिस अधीक्षक को भी इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही आम नागरिको से सहयोग करने की अपील की गई है.

आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने पर तीन दुकानों का आवंटन किया गया निरस्त

नवभारत न्यूज

रीवा, 13 अक्टूबर, नगर पालिक निगम रीवा ने आवंटन आदेश की शर्तों और मध्यप्रदेश नगरपालिका (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम 2016 के कई प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए कोठी कंपाउंड, जिला एवं सत्र न्यायालय के पीछे स्थित तीन दुकानों का आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है.

साथ ही दुकान पर तालाबंदी की कार्यवाही की गई. नगर पालिक निगम रीवा की स्वामित्व की योजना कोठी कम्पाउंड, जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा के पीछे स्थित दुकान क्रमांक 19 रोशन लाल गुप्ता, दुकान क्रमांक 20 जय कुमार सिंह एवं दुकान क्रमांक 21 अरुण कुमार दुबे को दुकान मूलत: 1991 एवं 1992 में आवंटित किया गया था. यह आवंटन 30 वर्ष की लीज पर दिया गया था. आदेश के अनुसार, आवंटनकर्ता ने दुकान के मूल स्वरूप में परिवर्तन, तोड़फोड़ और स्थायी पार्टीशन कराकर आवंटन की शर्तों का उल्लंघन

किया. इस पर निगम द्वारा 7 जुलाई 2025 को अंतिम नोटिस जारी किया गया था. जांच में यह पाया गया कि कथित कब्ज़ाधारी मुगेन्द्र सिंह पिता मणिराज सिंह ने 23 जुलाई 2025 को दोनों मूल आवंटियों के हस्ताक्षर से एक कथित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया. इस दस्तावेज़ में दुकान की भीतरी दीवार तोड़ने और नया निर्माण न कराने की बात कही गई थी. इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि आवंटी से उनका कोई संबंध है या उन्हें कोई अधिकार है. जिसमें शर्तों का उल्लंघन पर आवंटन आदेश की शर्त क्रमांक 01, 05 और 10 का उल्लंघन, (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम 2016 के नियम 4, नियम 8 (प्रारूप-एक) और नियम 15 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया.

आत्मनिर्भर भारत संकल्प सम्मेलन में त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी एवं कार्यकर्ता

रोजगार मेले में 65 कम्पनियां करेंगी युवाओं का चयन

नवभारत न्यूज

रीवा, 13 अक्टूबर, युवा संगम कार्यक्रम के तहत शासकीय टीआरएस कॉलेज रीवा में 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक वृहद रोजगार मेला आयोजित किया जायेगा.

रोजगार मेले में जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने मेला के आयोजन के लिये विभिन्न अधिकारियों को दायित्व सौंपे हैं. रोजगार मेले में 65 कंपनियों द्वारा युवाओं का चयन किया जाएगा. मेले में शामिल होने के लिए विभिन्न कंपनियों में युवक एवं युवतियों की आयु सीमा तथा शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है.

वेतन एवं भत्ते 7000 रुपए से 25 हजार रुपए तक निर्धारित किया गया है. वेतन एवं भत्ता विभिन्न कंपनियों में अलग-अलग देय होगा. युवाओ को अपने साथ मूल अंकसूची तथा निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति लेकर आना होगा.

जब व्यक्ति स्वदेशी की भावना से जुड़ता है तब भारत की शक्ति बढ़ जाती है : सिद्धार्थ

नवभारत न्यूज

रीवा, 13 अक्टूबर, विश्राम गृह त्यौंथर पर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा स्तरीय सम्मेलन हुआ. जिसके मुख्य अतिथि विधायक सिद्धार्थ तिवारी राज रहे. मुख्य वक्ता भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता रहे.

विधायक सिद्धार्थ तिवारी राज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प केवल एक नारा नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण की दिशा में जन-जन का अभियान है. हर व्यक्ति हर संगठन और हर विचार जब स्वदेशी की भावना से जुड़ता है, तब भारत की शक्ति और सामर्थ्य अनेक गुना बढ़ जाती है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव लाडली बहना योजना के तहत बहनों को सशक्त बनाने कार्य कर कर रहे है. वही ग्राम टंगहा में निजी संस्था द्वारा बनाए जा रहे कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला रखी है जिससे रोजगार के साधन उत्पन्न होंगे और त्योंथर के किसान और नौजवान भी आत्मनिर्भर भारत अभियान में मजबूती से सहभागिता करेंगे.

जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आत्म निर्भर भारत बनाना होगा. उन्होंने कहा इसके लिए हम सबको संकल्पित होना होगा हमारे घर में जो भी वस्तु आए स्वदेशी आए. इस दौरान विधायक सिद्धार्थ तिवारी राज व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने दीपावली में स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प दिलाया. कार्यक्रम का संचालन ऋषि तिवारी ने किया. कार्यक्रम में अलख नारायण केशरवानी, प्रशांत पाठक, गीता मांझी प्रणेश ओझा, मंडल अध्यक्ष घनश्याम यादव, समीर सिंह, वेद मिश्रा नगर परिषद अध्यक्ष कृष्णावती विद्यासागर शुक्ला, विभव जायसवाल मौजूद रहे.

पीएचडी प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए छात्रों ने उठाई पुनर्मूल्यांकन की मांग

नवभारत न्यूज

रीवा, 13 अक्टूबर, अवधेश प्रताप सिंह विश्विद्यालय द्वारा आयोजित कराई गई पीएचडी प्रवेश परीक्षा का गत दिवस परिणाम जारी किया गया. जिसमे प्रवेश परीक्षा देने वाले अभ्यार्थियों के बीच असंतोष है. बरती गई अनियमितता को लेकर कुलगुरू के नाम ज्ञापन सौपा गया.

छात्रों ने आंदोलन की चेतावनी दी है. कई ऐसे मेधावी छात्र है जो 70 से 80 फीसदी अंक पाने की उम्मीद लगाकर बैठे थे वह भी फेल हो गये. परीक्षा परिणाम को लेकर

गड़बड़ी की आशंका के साथ पुर्नमूल्यांकन कराए जाने की मांग की जा रही है. बहुत सारे ऐसे विषय है जिसमें अभ्यर्थियो की संख्या और परिणाम में उत्तीर्ण होने वाले अनुपात के मध्य काफी अंतर है.

यही नही विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी सम्बन्धी जो साइट में संभावित रिक्त सीट बताई जा रही उसके अनुसार बहुत सारे ऐसे विषयों में रिक्त सीट की संख्या तक प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी उत्तीर्ण नही कर पाए. रसायन शास्त्र जैसे विषय में 199 अभ्यार्थियों में से 7 अभ्यार्थी उत्तीर्ण हुए जबकि विश्विद्यालय को तीन गुना उत्तीर्ण अभ्यर्थियो की संख्या के साथ साक्षात्कार करने की प्रक्रिया से गुजरना होता है जिसमें संभावित शोध सीट की संक्या 106 है. अभ्यार्थीओ ने मांग में यह भी कहा हैं की किन किन प्रक्रिया के आधारों पीएचडी प्रवेश परीक्षा की उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन किया गया स्पष्ट किया जाय.

आंदोलन की चेतावनी - विधि विषय के अभ्यार्थी क्रांतिवीर सिंह चंदेल ने कहा प्रवेश परीक्षा के आवेदन तिथि से परीक्षा दिनांक तक तमाम जो मानक होते हैं उनको ताक में रखकर विश्विद्यालय प्रबंधन ने अभ्यार्थीयो के भविष्य को अधर में डालने का काम किया,समय रहते विश्विद्यालय प्रबंधन अपनी इस गलती पर नही सुधार करती तो छात्र हित में व्यापक आंदोलन होगा. ज्ञापन में प्रमुख रूप से अभिषेक तिवारी, मोहित गुप्ता, प्रभात पाण्डेय, रोशन शुक्ला, सूरज कुशवाहा, प्रदीप यादव, प्रतुल तिवारी, विमल चौरासिया, चन्दन पाण्डेय, रवि प्रजापति, नितिन सिंह आदि उपस्थित रहे.

मांग नहीं हुई पूरी तो महामहिम राज्यपाल से भी मिलेंगे : अभिषेक

मांगो को लेकर अभ्यार्थियों के साथ नेतृत्व कर रहे अधिवक्ता अभिषेक तिवारी ने कहा की विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यह पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया से हम पूरी तरह से असंतुष्ट है. इसमे केवल चिन्हित चाहेते ही उत्तीर्ण हो पाए हैं इससे सम्बंधित काफी अनियमितता सामने आयी और भी बहुत सारे राज है जो जल्द तथ्यों के आधार पर उजागर किये जायेंगे अभी पुनर्मूल्यांकन की मांग हमने रखी है उस विषय पर 7 दिवस के अंदर संतोषजनक कार्यवाही नही की जाएगी तो विश्वविद्यालय में आंदोलन प्रदर्शन के साथ राज्यपाल से मिलकर पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी.

सड़कों तक फैले अस्थाई अतिक्रमण को नगर निगम ने हटाया

नवभारत न्यूज

रीवा, 13 अक्टूबर, दीपावली के त्यौहार को लेकर जगह-जगह दुकाने लगाई जा रही है और सड़को पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके चलते आवागमन बाधित हो रहा है. सोमवार को नगर निगम उड़नदस्ता दल ने कई जगह अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की.

गल्ला मंडी से गुरुद्वारा रोड तक दुकानदारों द्वारा आगे बढ़ाए गए शेड, अवैध निर्माण और बाहरी सामान को हटाने की कार्रवाई की गई. जिन दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर सामान रखा गया था, उन्हें चेतावनी दी गई कि दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर जब्ती की कार्यवाही की जाएगी. इसके साथ ही चोरहटा तालाब के पास अस्थायी रूप से लगाए गए दुकानों को हटाया गया. निराला नगर मोड़ से कबाड़ की दुकान हटाई गई. बनकुइयां तिराहा एवं अस्पताल चौराहा से बिहारी होटल तक सड़क किनारे की पटरी खाली कराई गई. वहीं ऑडिटोरियम के सामने फ्लाईओवर के नीचे लगाए गए ठेले और गुमटियों को भी हटाया गया. इसके साथ ही बिना अनुमति के हो रहे निर्माण कार्य की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए वार्ड क्रमांक 04 चोरहटा में राधा कृष्ण मंदिर के पास जारी निर्माण कार्य को रोका गया. उक्त कार्यवाही में अतिक्रमण प्रभारी रावेंद्र शुक्ला, अतिक्रमण सहायक सुखेन्द्र चतुर्वेदी, ज्ञानेंद्र द्विवेदी एवं अतिक्रमण अमला मौजूद रहा.